न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA160 Smt Bidami Vs State etc

1. श्रीमती बिदामी देवी पत्नी लिछमणराम नाई
2. मूलाराम पुत्र लिछमणराम नाई
3. मदनलाल पुत्र लिछमणराम नाई
4. पूनाराम पुत्र लिछमणराम नाई
5. सोहनलाल पुत्र लिछमणराम नाई
   निवासीगण ग्राम बडली, तहसील व जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 24/2014 राजस्थान सरकार बनाम बिदामीदेवी व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 24/2014 राजस्थान सरकार बनाम बिदामीदेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर के खसरा संख्या 346/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी-अपीलाण्ट्स की खातेदारी की कृषि भूमि है, मगर अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन-विभाग द्वारा गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण की कार्यवाही में 20x15x4 मीटर भूमि पर अवैध खनन का कार्य किया जाना पाया गया। अतः इस खातेदार की वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी-अपीलाण्ट को तलब किया गया, मगर अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा संख्या 346/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा बडली में से खनन कार्य हेतु प्रयुक्त की गयी भूमि सिवायचक घोषित कर राज्य सरकार को समायोजित कर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त कर दी। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रकरण में प्रतिवाद की स्थिति में आवेदन में एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियमित वाद की तरह ही परीक्षण किये जाने का प्रावधान है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो आलौच्य मामला दैनिक कॉजलिस्ट में अंकित किया गया, न पक्षकारान की साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी और न सुनवाई का अवसर दिया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्राथी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी। यहाँ तक कि जिस पटवारी हळका की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, उस पटवारी हळका के बयान तक अधीनस्थ न्यायालय में लिपिबद्ध नहीं किये गये।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मियाद के संबंध में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के खातेदारान अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, इन सभी कारणों से अपीलाधीन आदेश की अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 16 अक्तूबर 2019 को पटवारी हळका एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा अपीलाण्ट संख्या एक को कहने पर अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी हुई, तब अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त करने के बाद तुरन्त आलौच्य अपील पेश कर दी गयी है। अतः अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आपराधिक कृत्य

है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित कियां गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 346/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा में अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से में 20x15x4 मीटर भूमि पर अवैध खनन किया जाना वर्णित किया गया है, मगर उसका हिस्सा खसरा संख्या 346/1 के सम्पूर्ण रकबे में कितना? किस तरफ है? यह पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 08 मार्च 2013 तथा अन्य किसी भी स्तर पर स्पष्ट नहीं किया गया है, मौका रिपोर्ट में ख.न. 346 व ख.न. 346/1 की तरमीम नहीं होने का उल्लेख है, ऐसी स्थिति मे अवैध खनन की अवस्थिति सुनिश्चित ही नही की जा सकती। अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के हिस्से की भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये हैं। मगर यह भू-भाग विशेष है कौनसा और कितना है? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की दिशाओं/हदूदों आदि का विवरण नहीं दिया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश की कियान्विति में व्यावहारिक कठिनाईयॉ साफ दृष्टिगोचर होती है और अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन को भी बल मिलता है कि समस्त मौका रिपोर्ट आदि कागजी कार्यवाही मात्र है। यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हळका की मौका रिपोर्ट दिनांक 08 मार्च 2013 के अनुसार मौके पर खसरा संख्या 346/1 की तरमीम नहीं हुई है और खसरा सख्या 346 समूचा एक ही है। जिसमें कोई खनन नहीं किया जा रहा था और जॉच के समय मौके पर कोई उपस्थित भी नहीं मिला। यह उल्लेख किया जाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही के फलस्वरूप का वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्ति की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अभाव में धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार निर्वासित नही हो सकते।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, जिन प्रकरणों में अपीलाधीन आदेश सर्वथा आधारहीन हो, वहॉ मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर किसी पक्षकार के लिए न्याय प्राप्ति का मार्ग अवरूद्ध किया जाना *travesty of justice* के समान है। अतः अपीलाण्ट के अधिवक्ता की बहस, प्रकरण के तथ्यों एवं मियाद-प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में अंकित वजूहात पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट के खिलाफ खसरा संख्या 346/1 पर किसी प्रकार का खनन कार्य करने संबंधित कोई रिपोर्ट अथवा साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध होकर अवैध खनन निसंदेह साबित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर